रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23122025-268761
SG-DL-E-23122025-268761

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]	दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 2025/पौष 1, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 386
No. 393]	DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 2025/PAUSHA 1, 1947	[N. C. T. D. No. 386

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह–डीओपी विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2025

फा.सं. 11 / 08 / गृ0–डीओपी / 2025 / 883–891—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितंबर, 1968 की अधिसूचना फा0 सं0 24 / 78 / 68–डीएच(एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मुख्य अभियोजक के पद से संबंधित भर्ती नियमावली, फा0सं011 / 17 / 2020 / गृ0–डीओपी / आर0आर0–II / 158–166दिनांक 27 मई, 2022 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श के पश्चात् एतद् द्वारा अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **लोक अभियोजक** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–

   (क) इन नियमों को अभियोजन निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, लोक अभियोजक भर्ती नियमावली, 2025 कहा जायेगा।

Scanned with CamScanner

ो दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग :—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 1 में निर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा इसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तरइन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथायोग्यता इत्यादि**:—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इनसे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. अयोग्यता :—ऐसा कोई भी व्यक्ति

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार हो तोऐसे किसी भी उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दी जा सकती है।

6. **शिथिल करने की शक्ति** :—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी भी वर्ग या श्रेणी के सम्बंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

7. बचावः— इन नियमों की किसी भी बात का भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	लोक अभियोजक
2.	पदों की संख्या	:	*32 (2025) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह 'क'
4.	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स स्तर —12 (78,800—2,09,200/— रुपये)
5.	क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है	:	चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	अनिवार्य : योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं वांछनीय : योग्यता : लागू नहीं अनुभव : लागू नहीं

Scanned with CamScanner

			योग्यता मानक टीप : लागू नहीं अनुभव मानक टीप : लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु : लागू नहीं शैक्षणिक योग्यता – लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति	:	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानानंतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानानंतरण किया जाना है	:	ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–11 (67,700 – 2,08,700/– रूपये) में अपर लोक अभियोजक तथा विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रासंगिक क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले। टीप – जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक / पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की अवधि के आधे से अधिक से न्यून न हो या दो वर्ष, इसमें जो भी कम हो, और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समितिः 1. अध्यक्ष अथवा सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – (अध्यक्ष) 2. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (सदस्य) 3. संबंधित सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – (सदस्य) 4. निदेशक, अभियोजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार–(सदस्य)
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ललित कांत गौतम, उप–सचिव (गृह)

Scanned with CamScanner

HOME-DOP DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 19th December, 2025

F. No. 11/08/H-DOP/2025/883-891— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification no. F.24/78/68-DH(S) dated the 24th September, 1968, and in supersession of the No. F.11/17/2020/H-DOP/RR-II/158 to 166 dated the 27th May, 2022 Recruitment Rules is so far as they relate to the post of Chief Prosecutor, and anything done or omitted to be done before such supersession,, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with Union Public Service Commission, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of the"**Public Prosecutor**" in Directorate of Prosecution, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement**-
   (i) These rules may be called theDirectorate of Prosecution,Government of National Capital Territory of Delhi, Public ProsecutorRecruitment Rules, 2025.
   (ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. **Application:** -These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix** – The number of the said post, its classification and pay level in pay matrixattached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualification etc:**-The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification:**-No person,-
   a. Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   b. Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall not be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax:**-Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving:** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
PUBLIC PROSECUTOR	32* (2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Non-Ministerial Gazetted, Group 'A'	Level 12 (Rs. 78800-209200) in the Pay Matrix	Selection Post	Not Applicable	**Essential:-** Qualification: Not Applicable Experience: Not Applicable **Desirable:-** Qualification: Not Applicable

Scanned with CamScanner

						Experience: Not Applicable Qualification Standard Note: N.A. Experience Standard Note: N.A.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment.	In case of recruitment by Promotion / Deputation / transfer grade from which promotion / deputation /transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age: Not Applicable Edu. Qual.: Not Applicable	Not Applicable	100% by Promotion	Additional Public Prosecutor in level 11(67700-208700) of the pay matrix with 05 years of regular service in the grade and having successfully completed 2-4 weeks mandatory training in the relevant field as prescribed by the department. Note: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less., and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.	Group 'A' Departmental Promotion Committee 1Chairman or Member, Union Public Service Commission (Chairman). 2. Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi (Member) 3.Secretary Concerned, Govt. of NCT of Delhi (Member) 4.Director of Prosecution, GNCTD (Member)	Consultation with UPSC is not necessary.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

LALIT KANT GAUTAM, Dy. Secy. (Home)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA

Scanned with CamScanner